UPAL010018692026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–821 सन् 2026

फूलवती देवी पत्नी स्व0 कन्छी लाल निवासी–ग्राम दुर्गापुर थाना टप्पल, जनपद–अलीगढ़।

.....प्रार्थिया/अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....वादी/विपक्षी

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र आदेशार्थ पेश हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र **प्रार्थिया/अभियुक्ता फूलवती देवी पत्नी स्व0 कन्छी लाल द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–694/2025, धारा–85,115(2),352,80(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना टप्पल, जिला अलीगढ़** के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी हरी सिंह की पुत्री मनीषा की शादी वर्ष 2020 में राहुल पुत्र कन्छी लाल के साथ हुई थी जिसमें वादी ने अपनी सामर्थ के अनुसार ससुराल पक्ष को दहेज दिया था। शादी के बाद से ही पति राहुल व सास फूलवती, जेठ भवला मनीषा को दहेज की मांग को लेकर आये दिन गाली–गलौज व लडाई झगडा व मारपीट कर प्रताडित करते चले आ रहे है। मनीषा का पति राहुल शराब पीकर मनीषा को पीटता था और प्रताडित करता था। दिनांक–02.12.2025 की रात्रि 10.30 बजे वादी को पता चला कि मनीषा की फांसी से मृत्यु हो गयी है। वादी अपने परिजनों के साथ गांव दुर्गापुर मनीषा के घर आया तो देखा कि मनीषा गर्दन में चुन्नी से फांसी पर छत के कुंदा पर लटकी हुई थी जिससे मनीषा की मृत्यु हो गयी है।

4– अभियुक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्ता एक 75 वर्षीय महिला है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही है। इस मुकदमें में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। अभियुक्ता के विरूद्ध कोई चश्मदीद साक्षी नही है । अभियुक्त ने कभी भी मृतका से दहेज की मांग नही की और न ही दहेज के

कारण मृतका को प्रताडित किया है।यह प्रथम शिकायत अभियुक्ता के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। वादी द्वारा अभियुक्ता को परेशान करने के आशय से यह झूठा मुकदमा लिखाया गया है। मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौत से ठीक पहले उसके साथ क्रूरता नही की गयी है, सिवाये उसके गले पर लिगेचर मार्क के जो फांसी लगाने की वजह से हुआ है। अभियुक्ता मृतका की सास है और एक विधवा, बूढी व कमजोर महिला है। अभियुक्त के गॉल ब्लैडर में पथरी और तेज दर्द, गठिया की समस्या है जिस कारण वह बार–बार चल फिर नही पाती है। अभियुक्ता घटना के समय मौके पर मौजूद नही थी। अतः अभियुक्ता को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्ता द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा सम्बन्धित केस डायरी एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ता तहरीर में नामित अभियुक्ता है। तहरीर के अनुसार वादी की पुत्री मनीषा का विवाह वर्ष 2020 में अभियुक्ता के पुत्र राहूल से होना कहा गया है। विवाह के पश्चात से ही मृतका मनीषा का पति राहुल व अभियुक्ता तथा अन्य परिवारीजन द्वारा वादी की पुत्री मनीषा को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करके प्रताड़ित करते थे तथा मृतका का पति वादी की पुत्री मनीषा को शराब पीकर मारता पीटता था। दिनांक–02.12.2025 को रात्रि 10.30 बजे वादी को अपनी पुत्री मनीषा की मृत्यु की सूचना मिली। वादी द्वारा अपने बयान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है तथा अतिरिक्त दहेज में मोटर साईकिल, सोने की अंगूठी व चैन की मांग करना कहा गया है। इसके अतिरिक्त मृतका की मॉ सूरजमुखी द्वारा भी अपने बयान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका मनीषा के मृत्यु पूर्व निम्न चोटे पायी गयी–A Ligature mark present on front of neck (below chin above thyroid) measured 26cmx1cm with distance from right ear 4cm, left ear 3cm, from chin 5cm, gap on nech 13cm, total circumference of neck 35cm. Base of groove is dark brown & parchament like on further dissection of neck subcutaneous tissue underneath ligature mark is white hard and glistening. तथा मृतका की मृत्यु का कारण ASPHYXIA ANTEMORTEM HANGINGदर्शित किया गया है। अभियुक्ता मृतका की सास है। मृतका की मृत्यु उसकी ससुराल में विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में दहेज की मांग को लेकर की गयी क्रूरता के कारण होना कहा गया है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले के

तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त नही है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता **फूलवती देवी** की ओर प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–05.03.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.-UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.03.05 12:52:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court